कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2019/77 दिनांक : 22.02.2019

महत्वपूर्ण
अत्यावश्यक

(1) समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
(2) समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
(3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
(4) समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवंपदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2019 के सुचारू संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः–शासन का निर्देश पत्रांकः पं.3(7) शिक्षा–6/2015, जयपुर, दिनांकः– 19.2.2019

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है। इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाऐं 07 मार्च, 2019 से तथा माध्यमिक स्तर की परीक्षाऐं 14 मार्च, 2019 से प्रारम्भ हो रही है। इनमें 20.15 लाख परीक्षार्थी 5,578 परीक्षा केन्द्रो पर प्रविष्ठ होंगे। इसके सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग की भी महती जिम्मेदारी है। अतः बोर्ड परीक्षा आयोजन के विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुक्रम में उक्त परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु अग्रिम तथा आवश्यक व्यवस्थाऐं एवं वांछनीय सावधानियाँ सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं :–

1. बोर्ड परीक्षाओं में संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों,उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे से वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी।
2. जिला स्तर पर कलक्टर की तरफ से अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में भी बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित नहीं होगी तथा निश्चित तिथि को संचालित की जाएगी।

(अ) <u>प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाएं</u> :–

शासकीय निर्देशानुरूप शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय की सुनिश्चितता हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन प्रत्येक जिले में अग्रांकित विवरणानुसार किया जाना है :–

(i)	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
(ii)	जिला पुलिस अधीक्षक	सह–अध्यक्ष
(iii)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक	सदस्य सचिव
(v)	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक),कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक	सदस्य
(vi)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक	सदस्य

इस कार्य में सभी संबंधित उप–खण्ड मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था व परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे। ये सभी अधिकारी जिला परीक्षा संचालन समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी तरीके से सुनिश्चित् की जाए, जिसकी समस्त जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का रहेगा।

(ब) <u>गृह विभाग से सम्बन्धित</u> :–

1. परीक्षाओं के दौरान प्रत्येक जिले के पुलिस कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किये जाएगें। कंट्रोल रूप के प्रभारी अधिकारी के नाम तथा टेलीफोन नम्बर की सूचना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। परीक्षा के दौरान कही भी अवांछित घटना होने अथवा संभावना होने की जानकारी होने पर तत्काल इस कंट्रोल रूप को अवगत करवाए जाने पर पुलिस विभाग द्वारा त्वरित गति कार्यवाही की जायेगी।
2. दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर एवं जोधपुर सामुहिक नकल की दृष्टि से तथा सीकर, नागौर एवं झुंझुनूं जिले प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। अतः इन जिलो में परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
3. राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों व उड़नदस्तों की रिपोर्ट तथा गत वर्ष के अनुभव के आधार पर चिन्हित संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि असामाजिक तत्व परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकें। **बोर्ड द्वारा इनकी सूची सम्बन्धित विभाग को भेजी जायेगी। अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर चार–चार पुलिसकर्मी तथा संवेदनशील केन्द्रों पर दो–दो पुलिसकर्मी की व्यवस्था की जायेगी। ये पुलिसकर्मी पुलिस विभाग द्वारा निःशुल्क नियुक्त किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिये जहाँ भी शांति व्यवस्था कायम करने हेतु पुलिस बल की आवश्यकता हो, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए।**
4. शहरी क्षेत्रों मे स्थित लगभग सभी परीक्षा केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों से 10 किमी की परिधि में स्थित परीक्षा केन्द्रों के प्रश्नपत्र समीप के पुलिस थाने में शिक्षा विभाग की अलमारियों में रखे जायेगें। साथ ही, ऐसे केन्द्र जो थानों से 14–15 किमी की दूरी पर स्थित है तथा वहाँ से प्रश्नपत्र रोजाना थाने से केन्द्र पर लाना सुरक्षिक व सुविधाजनक हो, उनके प्रश्नपत्र भी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की सहमति से सम्बन्धित थाने में शिक्षा विभाग की अलमारियों में रखे जा सकेंगे। इन सभी परीक्षा केन्द्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारीगण द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समय पर उपलब्ध कराई जायेगी।

   जहाँ तक सम्भव हो थानों अथवा पुलिस चौकियों में ही प्रश्न पत्र पत्र रखें जावें। थानों या पुलिस चौकी पर रखी प्रश्नपत्र अलमारी की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चितकी जायेगी।
5. विशेष स्थिति होने से जिन केन्द्रों की प्रश्न–पत्रों की अलमारी थाने/चौकी पर नहीं रखी जा सकती, उनके लिए अग्रांकित व्यवस्था की जाए :–

A. एक ही स्थान पर एक से अधिक परीक्षा केन्द्र होने पर किसी राजकीय विद्यालय को नोडल परीक्षा केन्द्र बनाकर उन सभी केन्द्रों के प्रश्न पत्रों की अलमारी नोडल परीक्षा केन्द्र पर रखी जाए।

B. जो केन्द्र थाने तथा नोडल परीक्षा केन्द्रों से अधिक दूरी पर है, उनके प्रश्न पत्रों की अलमारी उसी केन्द्र पर रखी जायेगी। इन्हें एकल परीक्षा केन्द्र कहा जाएगा।

C. इन केन्द्रों की उड़नदस्ते व जिला शिक्षा अधिकारी विशेष निगरानी रखेंगे तथा समय–समय पर निरीक्षण भी करेंगे। उड़नदस्ता सदस्यों के नाम गोपनीय रखे जाए।

D. प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु सभी जिलो के एकल एवं नोडल परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचने की तिथि से परीक्षा समाप्ति तक दो–दो होमगार्ड 8–8–8 घन्टे की ड्युटी 24 घन्टे के लिए लगाए जाएंगे।

6. सभी जिलों में गठित उड़नदस्तों के साथ निःशुल्क एक–एक पुलिसकर्मी भेजे जाएं। पुलिस कर्मी उपलब्ध नहीं होने पर एक–एक होमगार्ड लगाया जाए।

होमगार्ड के पारिश्रमिक का भुगतान गतवर्ष के भातिं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। भुगतान के लिए परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व होमगार्ड विभाग द्वारा निर्धारित राशि की कार्यालय स्तर पर गणना कर 100 प्रतिशत अग्रिम राशि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा महानिदेशक (गृह रक्षा) विभाग, राजस्थान जयपुर को उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न–पत्र थानों/पुलिस चौकी अथवा एकल/नोडल केन्द्रों पर रखे जाएंगे। उनकी सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

7. उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण केन्द्रों पर भी 8–8–8 घन्टे की ड्यूटी 24 घन्टे (अवकाश दिवसों सहित) दो–दो होमगार्ड तथा उप संग्रहण केन्द्रों पर प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक दो–दो होमगार्ड नियुक्त किए जाएंगे। होमगार्ड बोर्ड द्वारा सूचित अवधि के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनका भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इनकी सूची बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग को तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भिजवाई जाएगी।

8. इसके अतिरिक्त जहां भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पुलिस की तैनाती की आवश्यकता महसूस होगी उन परीक्षा केन्द्रों की जानकारी बोर्ड द्वारा देने पर पुलिस व्यवस्था करने तथा इस हेतु पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आरक्षित पुलिसदल रखे जाएंगे।

9. बोर्ड द्वारा जिला मुख्यालय पर भेजे जाने वाले प्रश्न–पत्र जिस स्थान पर रखे जाएंगे, वहाँ 24 घन्टे निःशुल्क सशस्त्र पुलिस गार्ड लगाए जाएंगे। साथ ही जिला मुख्यालय से प्रश्न–पत्र अलग–अलग परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाते समय दलों के साथ निःशुल्क सशस्त्र पुलिस गार्ड्स भेजे जाएंगे। इस हेतु आवश्यक पुलिस गार्ड्स की सूचना जि0शि0अ0 (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। उपर्युक्त व्यवस्था बोर्ड की पूर्व परीक्षा के समय भी सुनिश्चित की जावे।

10. बोर्ड कार्यालय से परीक्षा सामग्री जिला मुख्यालयों पर ले जाने वाले वाहनों और परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका संग्रहण–वितरण केन्द्रों और बोर्ड कार्यालय के बीच उत्तर–पुस्तिकाऐं परिवहन करने वाले वाहनों को शहरों में "नो एन्ट्री जोन" से निर्बाध आवागमन की अनुमति जारी करने हेतु निर्देश पुलिस विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

11. प्रश्न–पत्र वितरण व्यवस्था :– प्रश्न–पत्र जिला मुख्यालयों पर स्थित वितरण केन्द्रों पर बोर्ड की गोपनीय प्रेसों से दिनांक : 02 मार्च, व 03 मार्च, 2019 को पहुँचेंगे। जिला मुख्यालय पर प्रश्न–पत्र पहुँचने पर परीक्षा केन्द्रों को प्रथम–चरण में वितरण दिनांक : 04.03.2019 को एवं द्वितीय चरण में दिनांक : 11.03.2019 को किया जायेगा।

I. प्रथम चरण में उच्च माध्यमिक परीक्षा के सभी केन्द्रों के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक परीक्षा के सभी प्रश्न–पत्र तथा केवल माध्यमिक परीक्षा के वे केन्द्र जिनके प्रश्न–पत्र पुलिस थानों में रखें जाने हैं, उनके प्रश्न–पत्रों का परीक्षा केन्द्रों को वितरण दिनांक : 04.03.2019 को किया जाएगा।

II. द्वितीय चरण में माध्यमिक परीक्षा वाले शेष परीक्षा केन्द्रों को प्रश्न–पत्रों का वितरण दिनांक : 11.03.2019 को किया जाएगा। दिनांक : 04.03.2019 से 11.03.2019 की अवधि तक वितरण से शेष रही प्रश्न–पत्रों की पेटियों को उक्त अवधि में जिला कोषागार में रखा जाएगा। यदि जिला कोषागार में रखना सम्भव नहीं हो तो पुलिस लाईन अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर रखी जा सकेगी। पुलिस थाना, पुलिस लाईन के अलावा अन्य स्थान पर प्रश्न–पत्र रखने पर इन स्थानों पर प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा के लिए 24 घन्टे सशस्त्र पुलिस गार्ड पुलिस विभाग द्वारा निःशुल्क नियुक्त किये जाएंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा 8–8–8 घन्टे की ड्यूटी पर दो–दो शिक्षक एवं दो–दो चौकीदार भी नियुक्त किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर प्रश्न–पत्र पहुँचने के उपरान्त इनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परीक्षा संचालन समिति की होगी।

12. शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों एवं परीक्षा आयोजन कार्य से जुड़े अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को परीक्षा कार्य हेतु पाबन्द करने के लिये हमेशा की भाँति **"राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (रेस्मा)"** का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाएगा। जिस अवधि में रेस्मा लगाया जाना है, उसकी यथोचित सूचना बोर्ड द्वारा यथासमय उपलब्ध करवाई जायेगी।

(स) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित :–

1. **राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना** : निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा के बीकानेर स्थित कार्यालय में राज्य स्तरीय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जो दिनांक : 04 मार्च, 2019 से परीक्षा समाप्ति तक प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक कार्यरत रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा श्री प्रकाश चन्द्र जाटोलिया (मो.नं.9413926806) होंगे। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0151–2544043 हैं। नियंत्रण कक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाएगी। नियन्त्रण कक्ष की ई–मेल आई.डी. secondarydd2@gmail.com है।

2. **बोर्ड परीक्षा अवधि में वीक्षक ड्यूटी नियोजन एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था हेतु :– बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारू संचालन हेतु इस कार्यालय के निर्देश परिपत्र दिनांक : 12.04.16 द्वारा प्रसारित स्थायी निर्देशों की पालना समस्त सम्बन्धितों द्वारा सुनिश्चित रूप से की जाएगी।**

3. **पेपर कॉर्डिनेटर व माइक्रो आब्जर्वर की व्यवस्था :–**

I. पेपर कॉर्डिनेटर :– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा अपने जिले में प्रश्न–पत्रों के वितरण सम्बन्धी कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु पुलिस थानों/पुलिस चौकियों/नोडल परीक्षा केन्द्रों/एकल परीक्षा केन्द्रों पर पेपर कॉर्डिनेटर्स की आवश्यक रूप से नियुक्ति की जाएगी। ये पेपर कॉर्डिनेटरर्स शिक्षा विभाग में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी होंगे। **पेपर कॉर्डिनेटर आवश्यक रूप से प्रातः 7.30 बजे थाने पर (जहाँ प्रश्न–पत्र रखे हैं) उपस्थित होंगे।** शिक्षा विभाग के कार्यरत अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य राजकीय सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं। इन्हें मानदेय राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। **इन पेपर कॉर्डिनेटर को प्रश्न–पत्र वितरण पश्चात् समीप के किसी विद्यालय में माइक्रो–ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा।**

II. एकल परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति **पेपर कॉर्डिनेटर कम माइक्रो–ऑब्जर्वर** के रूप में भी कार्य करेगें। यह प्रश्न–पत्र वितरण कार्य के साथ केन्द्र पर परीक्षा की गतिविधियों को आब्जर्व कर इसकी गोपनीय रिपोर्ट जिला कलक्टर व अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देगें। इन्हें यात्रा व्यय/मानदेय राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

III. माईक्रो आब्जर्वर– जिले के निश्चित् परीक्षा केन्द्र, संवेदनशील अतिसंवेदनशील, गत वर्षो में हुए सामूहिक नकल वाले केन्द्रों, भौगोलिक दृष्टि से दूरदराज स्थित केन्द्रों जहाँ पर उड़नदस्ता नहीं जा सकता है तथा समस्त निजी विद्यालय वाले परीक्षा केन्द्रों पर जिला कलक्टर व अध्यक्ष, जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा माईक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। ये शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के अधिकारी होंगे। यह परीक्षा प्रारम्भ से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला कलक्टर व अध्यक्ष, जिला परीक्षा संचालन समिति व सचिव, मा.शिक्षा बोर्ड को गोपनीय रूप से देगें। इन अधिकारियों के द्वारा आवश्यकतानुसार नकल प्रकरण भी बनाए जा सकेंगे। इन अधिकारियों को मानदेय राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा जिला कलक्टर व अध्यक्ष, जिला परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से किया जाएगा। **इनके द्वारा दैनिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। ये माइक्रो–ऑब्जर्वर रोजाना उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल अपने समक्ष पैक करवाकर संग्रहण केन्द्रों पर रवाना करेंगे। इस हेतु संधारित रजिस्टर में रोजाना अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।**

4. जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र स्थापित है तथा प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहाँ यथा सम्भव उक्त विद्यालय के वरिष्ठतम व्याख्याता, जिन्हें आहरण–वितरण का अधिकार दिया हुआ है, को ही केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जाये।
5. **जिला शिक्षा अधिकारी व उपनिदेशकों को बोर्ड द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशि का सम्पूर्ण हिसाब कार्य माह के एक माह की अवधि में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। यह सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों एवं उपनिदेशकों की जिम्मेदारी होगी।**
6. परीक्षा केन्द्रों पर रात्रि की ड्यूटी देने वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को प्रति रात्रि के लिए एक दिवस का एवजी अवकाश तथा अवकाश के दिन की ड्यूटी के लिए एवजी अवकाश दिया जावे।
7. परीक्षा केन्द्रों पर रात्रि की ड्यूटी के लिए पी.टी.आई., एन.सी.सी. तथा स्काउट के अध्यापकों को प्राथमिकता से लगाया जाए।
8. जिले के परीक्षा केन्द्रों के प्रभारियों की जिला स्तर पर बैठक परीक्षा से पूर्व आयोजित कर उन्हे आवश्यक निर्देश दिये जाए।
9. सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों पर होमगार्ड एवं पुलिस स्टॉफ की तैनातगी के लिए सूची व संख्या से पुलिस अधीक्षक को यथासमय अवगत करवायेंगे।
10. जिन परीक्षा केन्द्रों की अलमारी समीप के थाने में रखी जाती है, उन केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों एवं पेपर कॉर्डिनेटरों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पहचान–पत्र जारी करते हैं तथा इसकी प्रति संबंधित थाना अधिकारी को प्रेषित किये जाने बाबत परिपत्र जारी किया जाता है। थानाधिकारी को उक्त परिचय पत्र दिखा कर ही प्रश्नपत्र अलमारी खोलने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने हेतु केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित करते हुए इस व्यवस्था को यथावत रखा जाए। पेपर कॉर्डिनेटर, माइक्रो आब्जर्वर तथा उड़नदस्तों के सदस्यों को भी परिचय पत्र जारी किये जाकर केन्द्राधीक्षकों/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों तथा पेपर कॉर्डिनेटर इत्यादि की उनके पते, दूरभाष एवं फोटो सहित एक सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी जाए।
11. जिन एकल/नोडल केन्द्रों पर प्रश्नपत्र रखे जायेंगे, उन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय आकस्मिक निरीक्षण करें तथा रजिस्टर में इन्द्राज कर बोर्ड कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट भेजें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)–मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्न पत्र खोलते समय केन्द्राधीक्षक तथा अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों, दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।
12. **गत वर्ष की व्यवस्था अनुसार पुलिस थाने से प्रश्नपत्र लाने हेतु संबंधित केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, एक अध्यापक एवं एक परिचारक साथ जाएं तथा प्रश्नपत्रों के पैकिट मजबूत थैले में रखकर सुरक्षित लाये जाएं। यदि प्रश्नपत्रों के पैकैट दो पहिया वाहन से लाये जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए एक और दो पहिया वाहन एस्कार्ट के रूप में उनके पीछे–पीछे चले।**
13. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक के कार्यालय में तथा प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्यालय में भी दिनांक 04.03.2019 से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा के दौरान एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा, जो प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। इन सभी नियत्रंण कक्षो के फोन, फैक्स नम्बर, ई–मेल आई.डी. व प्रभारी के मोबाइल नम्बर की सूची निदेशालय को यथा समय आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये।
14. निदेशालय, संयुक्त निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक कार्यालयों में बोर्ड परीक्षा संचालन हेतु स्थापित नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिकों को अवकाश दिवसों में कार्य करने पर एवजी अवकाश दिया जाए।
15. किसी केन्द्र पर यदि कोई केन्द्राधीक्षक लापरवाही करता पाया जाता है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा उसके विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। इस प्रकार के प्रकरणों पर संबंधितों द्वारा तत्काल प्रसंज्ञान लेकर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
16. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाए तथा बोर्ड मापदण्ड़ों के अनुसार सभी केन्द्रों पर तैयारियां पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। बोर्ड की परीक्षा केन्द्रों पर समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होना

आवश्यक है। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा फर्नीचर की कमी का आंकलन कर जहॉ फर्नीचर की कमी है, वहां निजी विद्यालयों से सिंगल सीटेड फर्नीचर की व्यवस्था की जायें। निजी विद्यालयों को बोर्ड सम्बद्वता नियमों के अनुसार फर्नीचर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में किराये पर फर्नीचर नहीं लिया जाए। 80

17. बोर्ड के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को फुटकर व्यय, टेलीफोन इत्यादि के लिये बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि दी जाएगी।
18. **थाने/चौकी/नोडल परीक्षा केन्द्रों से प्रश्न–पत्र प्रतिदिन संबंधित दिनांक/विषय के ही हों, यह भली–भांति जांचकर लाये जाएं। इस निर्देश की सख्ती से पालना करवाई जाए।**
19. **प्रश्न पत्र अलमारी के एक ताले की सभी चाबी केन्द्राधीक्षक तथा दूसरे ताले की सभी चाबी अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक के पास रखने के निर्देश दिये गये है, इसकी सख्ती से पालना की जाए। यदि निरीक्षण के दौरान इसकी पालना नहीं पाई जाती है तो संबंधित केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।**
20. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अतिरिक्त कक्षा लगाना, होस्टल चलाना तथा कोचिंग कक्षाएँ चलाने पर एतद् द्वारा पाबन्दी लगाई जाती है। यदि विद्यालय में हॉस्टल चलाना अपरिहार्य हों, तो वहॉ हॉस्टल की निगरानी हेतु एक ऑब्जर्वर लगाया जाए, जिसकी बोर्ड को पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है।
21. **प्रत्येक उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर बोर्ड निर्देशानुसार अजमेर संग्रहण केन्द्र को छोड़कर शेष केन्द्रों पर लगभग डेढ़ माह के लिये एक–एक कार्मिक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक तथा दो–दो कार्मिक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाये। इन्हें बोर्ड नियमानुसार देय भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा। विगत वर्षानुसार संग्रहण केन्द्रों से उत्तर पुस्तिका प्रतिदिन आयेगी। इन संग्रहण केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. की भी व्यवस्था की जाए। उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण केन्द्रों पर स्वच्छ छवि वाले एवं ईमानदार कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाए।**
22. निजी विद्यालय वाले परीक्षा केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं ऐसे केन्द्रों पर परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। किसी भी परीक्षा केन्द्र पर निजी विद्यालय का कोई भी कार्मिक वीक्षक/पर्यवेक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक या परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इनकी पूर्ति प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों से की जाये। इन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता बोर्ड द्वारा देय होगा। छात्राओं के परीक्षा केन्द्रों पर महिला वीक्षकों की नियुक्ति की जाये। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला कार्मिक द्वारा ही ली जावे तथा मर्यादा का ध्यान रखा जाए।
23. जिलों में गत वर्ष की गई तहसीलवार फ्लाईंग स्क्वैड्स (उड़नदस्ता) की व्यवस्था यथावत रहेगी।
24. सीकर, नागौर, झुन्झुनू, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों एवं राज्य के सभी संवेदनशील, अतिसंवदेनशील केन्द्रों पर जहाँ पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हों उन्हें छोड़कर केन्द्रों पर प्रश्न–पत्रों की अलमारी से प्रश्न–पत्र निकालने से लेकर केन्द्र पर लिफाफे खोलने, वितरण करने एवं परीक्षा आयोजन आदि की प्रतिदिन वीडियोग्राफी कराई जाए। यह दल प्रतिदिन अचानक परीक्षा केन्द्र पर पहुँचकर अलमारी से प्रश्न–पत्र निकालने से लेकर खोलने, वितरण करने की वीडियोग्राफी करेगा तथा केन्द्र पर परीक्षा व्यवस्था को भी वीडियोग्राफी करेगा। वीडियोग्राफी की दरों की व्यवस्था जिला परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से की जाए। इसका भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों पर वीडियोग्राफी माइक्रोआब्जर्वर/पेपर कोड्रिनेटर/केन्द्राधीक्षक की देखरेख में होगी। निर्देशानुसार वीडियोग्राफी कराने का दायित्व इनका होगा। सभी परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी की सी.डी. रोजाना सम्बन्धित जि.शि.अ.(मा.) मुख्यालय कार्यालय में जमा करानी होगी। परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी के सम्बन्ध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा बोर्ड के पत्रांक : परीक्षा–1/सेल–8/2019/विडियोग्राफी/I–19540–19616 दिनांक 05.02.19 द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। गत वर्ष की परीक्षाओं में संदिग्ध, लापरवाह अथवा दण्डित कर्मियों को इस वर्ष की परीक्षाओं में नियुक्त नहीं किया जावे।
25. (i) समस्त परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं का अंकन राजकीय सेवारत शिक्षक जो "शाला दर्पण" पर पंजीकृत हो, से करवाया जावे। बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित यथा प्रायोगिक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिका अंकन, वीक्षण ड्यूटी व परीक्षाओं से जुड़े अन्य सभी कार्य सभी राजकीय कार्मिकों को अनिवार्य रूप से सम्पादित करने होगें। किसी भी कार्मिक द्वारा आवंटित कार्य अस्वीकार करने या नहीं करने पर सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। कार्य आवंटन शाला दर्पण पर पंजीकृत विषय के आधार पर कम्प्यूटरीकृत रेण्डम पद्धति से किया जाएगा।

    (ii) यदि कोई कार्मिक गम्भीर बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य यथोचित ठोस कारण से मजबूर/असमर्थ हों, उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर मुक्त किया जा सकता है।

    (iii) जिले के सभी संगहण केन्द्रों के नियंत्रक अधिकारी सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक रहेगें एवं बंडल पहुँचने के तीन दिवस में अनिवार्यतः वितरण सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई परीक्षक आकस्मिक स्थिति/विपदा आदि के कारण अंकन कार्य में असमर्थ है एवं जि.शि.अ. प्रस्तुत कारण से संतुष्ट है, तो उस्के स्थान पर अन्य परीक्षक को आवंटित किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा लिखित आदेश किया जाएगा। जिले में शिक्षकों की कमी/अनुपलब्धता पर दो बंडल अथवा पास के जिले के शिक्षक को आवंटन किया जा सकेगा।

    (iv) प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) जिले के सभी संग्रहण केन्द्रों के नॉडल अधिकारी रहेंगे तथा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक के निर्देशन में प्रतिदिन संग्रहण केन्द्र का आवश्यक रूप से निरीक्षण कर बंडलों का निस्तारण करवायेंगे। इस हेतु उन्हें वाहन/टेलीफोन व्यय रूपये 6/– प्रति बंडल एवं जिले के अन्य संगहण केन्द्रों पर नियमानुसार यात्रा व्यय देय होगा।

    (v) जिन विषयों के राजकीय सेवारत परीक्षक उपलब्ध नहीं हैं उन्हें बोर्ड के पुराने पेनल के आधार पर तथा अंग्रेजी माध्यम की उत्तर–पुस्तिका जो परीक्षकों से प्राप्त हो, उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय विवेकानन्द मॉडल स्कूल, जिसमें अंग्रेजी माध्यम भी संचालित है, इन विद्यालयों के परीक्षक अंग्रेजी माध्यम की उत्तर–पुस्तिकाऐं अंकन करवाई जा सकती है। अतः जिन विषयों में उक्त विद्यालयों के अध्यापक उपलब्ध हों उनकी अंग्रजी माध्यम की पुस्तिकाएं इन्हें अंकन हेतु आवंटित की जाये। पंजाबी विषय की पर्याप्त शिक्षक अनुपलब्धता पर प्रदेश के बाहर मूल्यांकित करवाई जावें।
26. बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाएं संग्रहण–वितरण हेतु स्थापित प्रत्येक संग्रहण–वितरण केन्द्र पर दोहरी नजर रखने हेतु एक कार्मिक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा परीक्षा प्रारम्भ दिवस से समाप्ति तक आवश्यक रूप से नियुक्त किया जायेगा, शेष बोर्ड कार्मिक नियुक्त किये जायेगें, परन्तु आवश्यकता होने पर

बोर्ड के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा एक से अधिक कार्मिक नियुक्त भी किये जा सकेंगे। उप केन्द्रों पर केवल उत्तर–पुस्तिका संग्रहण का कार्य ही रहता है। अतः सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा कार्मिक नियुक्त किया जायेगा।

27. परीक्षा सम्बन्धी कार्यों यथा उड़नदस्तों, प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षाओं में, पर्यवेक्षक, पेपर कॉर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर या संग्रहण केन्द्रों पर किसी भी सरकारी अधिकारी, शिक्षक, व्याख्याता तथा कर्मचारी को लगाने पर उनको कर्त्तव्य (On Duty) पर माना जाए।

28. परीक्षा संचालन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी आवश्यकतानुसार लगाया जा सकता है। अतः सम्बन्धित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों को केन्द्राधीक्षक के निर्देशों की पालना हेतु पाबंद किया जाएगा। इस हेतु जि.शि.अ. (मुख्यालय)–माध्यमिक समय से जि.शि.अ.(मुख्यालय)–प्रारंभिक तथा संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य नियंत्रण अधिकारी को सूचना देवें, ताकि वीक्षक लगाने में असुविधा नहीं हो। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को परीक्षा कार्य के लिए कार्यमुक्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक के आदेशों की समुचित पालना की जाए।

29. परीक्षाओं में नकल करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम की पुख्ता व्यवस्था करने तथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम का प्रचार प्रसार समाचार–पत्रों एवं टी.वी. के माध्यम से किया जावें। परीक्षार्थियों को भली प्रकार जाँच कर परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जाए कोई भी परीक्षार्थी मोबाईल, फोन, केल्कुलेटर, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा इलेक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षा केन्द्र में लेकर प्रवेश नही कर सकें। विभिन्न प्रकार की प्रश्न–पत्र लीक होने अथवा उत्तर–पुस्तिकाओं का बंडल गिरने सम्बन्धी अफवाहों का तुरन्त खण्डन कर प्रेस विज्ञप्ति दी जाऐं। परीक्षा व्यवस्था में कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

30. व्यवसायिक शिक्षा परीक्षा कक्षा–दसवीं (द्वितीय स्तर) एवं कक्षा 12 (चतुर्थ स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जायेगी एवं इस वर्ष कक्षा नवमीं (प्रथम स्तर) एवं कक्षा 11 वीं (तृतीय स्तर) की सैद्धान्तिक परीक्षा बोर्ड द्वारा तथा प्रायोगिक परीक्षा **NSDC** द्वारा करायी जा रही हैं।

31. बोर्ड परीक्षाओं में निजी शिक्षण संस्थाओं की कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने पर विचार किये जाने के क्रम में परीक्षा समिति के प्रस्ताव एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णयानुसार राजकीय तथा प्राईवेट विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलाकर बैठक व्यवस्था की जाए। जिन परीक्षा केन्द्रों पर गैर सरकारी विद्यालयों परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं उन परीक्षा केन्द्रों पर जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा प्राईवेट स्कूल की एक प्रतिनिधि को केन्द्रों पर लगाया जा सकेगा किन्तु यह ध्यान रखा जाऐ कि जिस विद्यालय के छात्र परीक्षा केन्द्र पर प्रविष्ट हो रहे हैं वहाँ उसी विद्यालय का प्रतिनिधि नहीं लगाया जाए। उक्त प्रतिनिधि सहायक समन्वयक के तौर पर कार्य करेगें तथा इन्हें बोर्ड नियमानुसार मानदेय देय होगा। उक्त सहायक समन्वयक का परीक्षा–कक्षों में प्रवेश वर्जित रहेगा। ये केवल बरामदें एवं बाहरी विद्यालय परिसर तक ही उपस्थित रहकर परीक्षा व्यवस्थाओं में मात्र सहयोग कर सकेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किये जाने वाले प्राईवेट विद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम व मोबाईल नं. की सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बोर्ड को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वे गैर सरकारी विद्यालय, जिनके शिक्षक "गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम–1989 तथा नियम–1993" के तहत चयनित एवं राजकीय नियमानुसार निर्धारित योग्यताधारी तथा वर्तमान में निजी विद्यालयों में कार्यरत हों ऐसे शिक्षकों को ही सहायक समन्वयक के रूप में लगाया जायेगा। जिन केन्द्रों पर केवल राजकीय विद्यालयो के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं, वहाँ ऐसे प्रतिनिधि नहीं लगाये जायेगें।

32. राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय जहां केवल स्वयं की शाला के ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं ऐसे केन्द्रों पर अन्य सरकारी विद्यालयों से वीक्षकों/स्टाफ की नियुक्ति की जानी है।

33. किसी भी परीक्षा केन्द्र पर किसी भी वीक्षक/परीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक को मोबाईल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र से सम्पर्क के लिए शाला के लैण्ड लाईन दूरभाष पर वार्ता की जाए। यदि केन्द्र पर उपलब्ध लैण्डलाईन फोन दुरूस्त अवस्था में न हो अथवा अन्य कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो केन्द्राधीक्षक द्वारा ऐसा मोबाइल फोन उपयोग में लिया जा सकता है, जिसमें फोटो नहीं खींची जा सके।

34. निजी विद्यालयों वाले परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध हो, तो वहां के कैमरे अनिवार्यतः उपयोग में लेने हेतु सम्भावना तलाशी जाए। जिन निजी विद्यालयों वाले केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हों, उन्हें भी परीक्षा से पूर्व कैमरे लगाने हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महादेष्टा नागरिक सुरक्षा एवं समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. विशेषाधिकारी एवं मुख्य नियंत्रक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर